Additional Attachment -2.1

परियोजना का नाम– कूल विरखन सूड़ होते हुए प्यूडा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु संमेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

जनपद नैनीताल में कूल विरखन सूड़ होते हुए प्यूड़ा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग के निर्माण 7.000 किमी0 हेतु कार्य की स्वीकृति दो भागो में पृथक–पृथक शासनादेशानुसार निम्नवत हुई जिसके अनुसार प्रथम भाग की स्वीकृति नैनीताल में कूल बिरखन सूड़ मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 किमी0 की स्वीकृति शा0सं0 63/।।।–(2)/06–91(प्रा0आ0)/05 दिनांक 16 जनवरी 2006 तथा द्वितीय भाग की स्वीकृति नैनीताल में प्यूड़ा इन्टर कॉलेज से कूल बिरखन रोड तक 3.00 किमी0 तक लिंक रोड का निर्माण नाम से शा0सं0 547/।।।–(2)/09–44(प्रा0आ0)/08 दिनांक 11 फरवरी 2009 के अनुसार प्राप्त हुई। भारत सरकार के द्वारा एस0ए0जी0 की बैठक में निर्देशित किया गया है कि एक ही मार्ग हेतु अलग–अलग भागों में स्वीकृतियों वाले प्रकरणों में समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव एक साथ गठित का प्रस्तुत किये जाये। जिसके निर्देशों के अनुपाल में मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू–भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम कूल क्षेत्र के अन्तर्गत विरखन, गैराड़ी, सूड़ कभड़ा, निगराड़, मल्ला प्यूड़ा एवं सतौली आदि के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गॉवो से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गॉव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणो पर विचार किया गया है जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंगो से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृति संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0–1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है। इसके अनुसार संरेखण में सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है। इस संमरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस संरेखण के अन्तर्गत वृक्ष तथा बैन्ड कम आते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है, इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0–2 जो भूरे रंग से दर्शाया गया है। इसमें बैन्ड अधिक आने से वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार सही ग्रेड न मिलने एवं अधिक नाप भूमि प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नही है।

उपरोक्त दोनों समरेखणों का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, तथा उनके द्वारा संरेखण नं0–1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीक, पर्यावरणीय एवं भू गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित स्वीकृति समरेखण नं0–(1) के अन्तर्गत मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से 4.00 किमी0 लम्बाई तथा 9.00 मीटर चौड़ाई के लिए क्रमशः आरक्षित वनभूमि, वनपंचायत भूमि, सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, जिसमें 580 मीटर लम्बाई में आरक्षित वन भूमि, 850 मीटर लम्बाई में सिविल सोयम भूमि, 190 मीटर लम्बाई में वनपंचायत भूमि तथा 2380 मीटर लम्बाई में नाप प्रभावित भूमि होती है।

अतः 4.00 किमी0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (आरक्षित वन भूमि) लम्बाई 580 मीटर, (सिविल सोयम) लम्बाई 850 मीटर, (वनपंचायत) लम्बाई 190 मीटर तथा चौडाई 9.00 मीटर में प्रभावित होने वाली 1.458 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 533 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।